{2019} 2 एस.सी.आर. 458

ब्रिगेडियर सुखजीतसिंह (सेवानिवृत) एमवीसी

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

(दांडिक अपील क्रमांक 148/2019)
25 जनवरी 2019

{ न्यायमूर्तिगण अशोक भूषण और के. एम.जोसेफ}

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 – अपीलीय न्यायालय मे अतिरिक्त साक्ष्य– एक रेजिमेंटल वेलफेयर ट्रस्ट के पास कृषि भूमि सहित विभिन्न अचल संपत्तियों का स्वामित्व था– 18–10–1989 मे न्यास की घोषणा का एक विलेख न्यास के कार्यालय द्वारा न्यास की प्रकृति को बदले बिना एक नया न्यास होने का दावा किया गया था उसकी तारीख को न्यासियो द्वारा प्रस्ताव संख्या 112 पारित किया गया था– उसी तारीख को न्यासियों द्वारा प्रस्ताव संख्या 112 पारित किया गया था जिसमे अपीलार्थी और अन्य अभियुक्त को न्यास के नाम पर काम करने और कृषि भूमि को विक्रय करने के लिये अधिकृत किया गया था– जिसके परिणामस्वरूप उत्तरवादी क्रमांक 2 और अन्य खरीरदार को भूमि खरीदने के लिये अनुबंध को न्यास के साथ शामिल किया गया था – उत्तरवादी क्रमांक 2 ने बकाया राशि का भुगतान किया – बिक्री निष्पादन नही की गई थी– उत्तरवादी क्रमांक 2– शिकायतकर्ता ने अंतर्गत धारा 420, 406 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत अपीलार्थी और अन्य अभियुक्तो के विरूद्व प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज कराया– विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी एवं अन्य अभियुक्तो को दोषी ठहराया – अपीलार्थी द्वारा आपराधिक अपील दायर की गई थी– अपील के लंबित रहने के दौरान– अपीलार्थी द्वारा आवेदन अंतर्गत धारा 391 दं.प्र.सं. का आवेदन उस स्थान के संबंध मे न्यास विलेख दिनांक 18–10–1989 और प्रस्ताव क्रमांक 112 और इसे साबित करने के लिये गवाहो को बुलाने के लिये समन करने बाबत पेश किया गया– आवेदनो को अपीलीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया– अपीलार्थी ने अपीलीय न्यायालय के आदेश के खिलाफ आवेदन अंतर्गत धारा 482 दं.प्र.सं. प्रस्तुत किया– उच्च न्यायालय द्वारा अंतर्गत धारा 482 दं.प्र.सं. निरस्त कर दिया गया और यह अभिनिर्धारित किया गया कि अपीलार्थी द्वारा धारा 391 दं.प्र.सं. का

आवेदन विलंब स्तर पर पेश किया गया था और उन्हे दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य के साथ पेश किया गया था– अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया, उच्च न्यायालय को यह कहने का अधिकार नही था कि अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने मे देरी हो रही थी– अपीलार्थी को 7–10–2013 को दोषी ठहराया गया था और अपील अगली तारीख को दिनांक 8–10–2013 को पेश कर दिया गया था– अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नही था जिससे यह दर्शित हो कि अपील की सुनवाई हो रही थी और उस स्तर पर आवेदन अंतर्गत धारा 391 दं.प्र.सं. पेश किया गया था, इसलिये विलंब स्तर पर पेश आवेदन को अनुमति देना अनुचित था–इसके अलावा, उच्च न्यायालय के समक्ष पेश आवेदन अभियुक्त के दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से पेश किया जाना नही कहा जा सकता– अभियुक्त जिसे दोषी ठहराया गया है,उसे सभी आधारो को लेने और अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने का भी अधिकार है जो अपीलीय न्यायालय को अपील का निराकरण करने के लिये आवश्यक है– इसके अलावा,''एफ'' ने अपीलार्थी के खिलाफ आपराधिक मामला दायर किया था जो कृषि भूमि के बिक्री के संबंध मे उसी अनुबंध पर आधारित था– उक्त मामले मे, न्यास विलेख दिनांक 18–10–1989 पेश किया गया था और साबित किया गया था और अपीलार्थी को दोषमुक्त कर दिया गया था– इसलिए, उच्च न्यायालय ने धारा 391 दं.प्र.सं. के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग न कर त्रृटि की थी।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973– धारा 391– अपीलीय न्यायालय –अभिनिर्धारित– अपीलीय न्यायालय को धारा 391 की शक्तियों पर कोई बंधन नही है– अपीलीय न्यायालय को न्यास के उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए सभी शक्तियां प्रदान की जाती है– न्यायिक प्रशासन का अंतिम उद्देश्य न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करना है– न्यायालय को न्याय देने के लिये न्यायालय का अस्तित्व होना आवश्यक है।

न्यायालय ने अपील की अनुमति देते हुए

अभिनिर्धारितः 1. तथ्यो से पता चलता है कि न्यास ग्राम बिचाई मे कृषि भूमि का मालिक है। शिकायतकर्ता का न्यास के ठेकेदार के रूप मे 1975 से बडी संख्या मे कृषि भूमि पर उनका कब्जा है, उनके मामले के अनुसार जिसमें उन्होने प्रथम सूचना रिर्पोट में भी उल्लेख किया है। आवेदन अंतर्गत धारा 391 दं.प्र.सं. के तहत् अपीलीय न्यायालय मे न्यास विलेख दिनांक 18–10–1989 और संकल्प क्रमांक 112 दिनांक 18–10–1989 की प्रमाणित प्रति स्वीकार करने और अपीलार्थी को मौखिक साक्ष्य देकर उक्त दस्तावेज को साबित करने के लिये आवेदन किया गया था। विचारण

न्यायालय द्वारा न्यास विलेख का संदर्भ अपने दिनांक 7–10–2013 के फैसले मे दिया गया है। विचारण न्यायालय ने अपने फैसले मे कहा था कि "न्यास विलेख की प्रति दिनांक 18–10–1989 अभिलेख पर कागज नं. 30 खध्46" के रूप मे उपलब्ध है। विचारण न्यायालय ने आगे कहा है कि "यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि अभियुक्त ने साक्ष्य के माध्यम से न्यास विलेख दिनांक 18–10–1989 को साबित नही किया था"।{पैरा 17}

2. अभिलेख पर जो न्यास विलेख उपलब्ध था वह न्यास विलेख की फोटो कापी थी। न्यास विलेख साबित न होने के कारण विचारण न्यायालय ने न्यास विलेख और प्रस्ताव को स्वीकार नही किया, जो कृषि भूमि को बिक्री करने के लिये अनुबंध मे प्रवेश करने के लिये अपीलार्थी और अन्य न्यासियों के आचरण को समझने और जानने के लिए प्रासंगिक थे। उपर बताए गए तथ्यों से पता चलता है कि अभियोजन पक्ष ने दिनांक 17–11–2000 को अपना साक्ष्य दर्ज कराना प्रारंभ किया, जो 12–11–2012 को समाप्त किया गया था। अभियोजन पक्ष द्वारा अपने साक्ष्य को रखने के लिये बारह साल की अवधि ली गई थी और 21–11–2012 के बाद, दिनांक 7–10–2013 को निर्णय दिया गया था। अपीलार्थी को भा.दं.सं. की धारा 420/34 के अपराध के लिये दोषी ठहराया गया था, इस आरोप को स्वीकार करते हुये कि शिकायतकर्ता ने न्यास की भूमि की बिक्री के संबंध मे धोख किया था।{पैरा 18}

3. अपीलार्थी द्वारा एक आपराधिक अपील सत्र न्यायाधीश, रामपुर के न्यायालय मे पेश किया गया था। इसके बाद, एक आवेदन अंतर्गत धारा 391 दं.प्र.सं. (14 ख) का दिनांक 18–10–1989 का न्यास विलेख, संकल्प क्रमांक 112 को अभिलेख मे लेने के लिये पेश किया गया था। एक अन्य आवेदन अंतर्गत धारा 391 दं.प्र.सं.(17 ख) का न्यास विलेख दिनांक 18–10–1989 और संकल्प क्रमांक 112 को साबित करने के लिये गवाहो को बुलाने के लिये अनुरोध किया गया था। दोनो आवेदन जिला न्यायाधीश के समक्ष आया, जिन्होने अपने आदेश दिनांक 02–11–2015 को खारिज कर दिया। उक्त आदेश दिनांक 02–11–2015 के खिलाफ, आवेदक द्वारा एक आवेदन अंतर्गत धारा 482 दं.प्र.सं. का उच्च न्यायालय मे दाखिल किया गया था जिसे उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 17–01–2017 मे निरस्त कर दिया। उच्च न्यायालय द्वारा अंतर्गत धारा 482 द.प्र.सं. के तहत पेश आवेदन को निरस्त करने मे दिया गया कारण एवं उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया अवलंबन निराधार है। उच्च न्यायालय का पहला आधार यह है कि अतिरिक्त साक्ष्य लेने के लिये पेश किया गया आवेदन विलंब

स्तर पर है। वर्तमान मामले के तथ्यों मे यह न्यायालय ऐसे आधार को मंजूरी नही देता है। जब अपीलीय न्यायालय को अतिरिक्त साक्ष्य लेने हेतु शक्तियां प्रदान की गई है, तब यह आधार कि विलंब स्तर पर पेश किया गया था। अपीलार्थी को दिनांक 07–10–2013 को दोषी ठहराया गया था और अपील तुरंत अगले दिन दिनांक 08–10–2013 को पेश कर दिया गया था। उच्च न्यायालय द्वारा यह भी उल्लेख नही किया गया था कि अभिलेख मे ऐसा कुछ भी नही है जो इस बात का संकेत दे कि अपील की सुनवाई की जा रही थी और इस स्तर पर आवेदन अंतर्गत धारा 391 दं.प्र.सं. के तहत् आवेदन पेश किया गया था, जिसमे आवेदन को विलंब स्तर पर पेश किया जाना ही अनुचित था। इसके अलावा, उच्च न्यायालय का यह आधार कि आवेदन किसी दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से पेश किया गया था, स्वीकार्य नही है। अपीलार्थी को निचली अदालत पहले ही न्यास की कृषि भूमि को बिक्री करने के संबंध मे शिकायतकर्ता को धोखा देने के आरोप मे दोषी ठहरा चुकि थी। दूसरा न्यास विलेख दिनांक 18–10–1989, जो अभिलेख मे था और जिसे निचली अदालत द्वारा संदर्भित किया गया था और अपीलार्थी द्वारा साबित नही किये जाने के आधार को देखते हुए निरस्त कर दिया गया था। न्यास विलेख और संकल्प की प्रमाणित प्रति को स्वीकार करने और अपीलार्थी को साक्ष्य देने की अनुमति देने के लिये उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन पेश करना किसी भी तरह से अभियुक्त का दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य नही कहा जा सकता, जिसे दोषी ठहराया गया था। अपील में, उसे सभी आधारो को लेने और अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने का अधिकार है, जो अपीलीय न्यायालय के अनुसार अपील पर निर्णय लेने के लिये आवश्यक है। जैसा कि उपर उल्लेख किया गया है, इस न्यायालय ने निर्धारित किया है कि जब अतिरिक्त साक्ष्य लेना आवश्यक हो जाता है, तो उसे एकमाप दण्ड के अनुसार सूचीबद्व या गणना नही किया जा सकता। यह प्रत्येक मामलो के तथ्यों पर निर्भर करता है कि वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अतिरिक्त साक्ष्य लेना आवश्यक है या नही। वर्तमान मामला यह है कि जहां अपीलार्थी और उसके वकील की ओर से चूक के कारण था कि दूसरा न्यास विलेख जो भूमि की बिक्री के लिये कदम उठाने का आधार था जो साबित नही किया जा सकता था।{पैरा 311, 312, 313 और 19}

4. उच्च न्यायालय का दूसरा अवलंबन यह है कि अपीलीय स्तर पर अतिरिक्त साक्ष्य लेने का आवेदन अपीलार्थी द्वारा अपील के निर्णय मे अनंतकाल तक देरी करने के लिए दायर किया जाता है, जब अभियोजन पक्ष ने निचली अदालत के समक्ष साक्ष्य देने मे बारह साल का समय लिया था और निचली अदालत द्वारा दिनांक

07–10–2013 को निर्णय दिया गया था और अपील 08–10–2013 को दायर की गई थी, अपीलार्थी को इस आरोप के साथ कैसे दंडित किया जा सकता है कि वह अपील को अनंतकाल तक विलंबित करता। यह अवलंबन अनुचित रूप से गलत और गलत था। जब कानून किसी अभियुक्त को अपील करने का अधिकार देता है, तो उसे सभी कदम उठाने और न्याय के लिए अपीलीय न्यायालय की सभी शक्तियों का लाभ उठाने का अधिकार है। आपराधिक मामले मे अपीलीय न्यायालय को इस बात पर विचार करना होता है कि क्या अभियुक्त की दोषसिद्धी यथावत रखने योग्य है या अपीलार्थी को दोषमुक्त किया जा सके। सभी न्यायालयो को सच्चाई और न्याय तक पहुंचने का प्रयास करना होगा। शिकायतकर्ता का मामला यह भी रहा है कि न्यास विलेख के निष्पादन के बाद ही कृषि भूमि की बिक्री के संबंध मे बातचीत शुरू की गई थी। न्यास विलेख और संकल्प जो भूमि की बिक्री की प्रक्रिया की शुरूवात के लिये नींव एवं आधार है, जिन दस्तावेजो को अपीलार्थी की ओर से आपराधिक इरादे यदि कोई हो का पता लगाने के लिये किसी भी निष्कर्ष पर पहंुचने की अनुमति दी जानी चाहिये थी। {पैरा 20}

5. यह ध्यान देना भी प्रासंगिक है कि "एफ" द्वारा दायर एक अन्य मामले मंे, जो खरीदारों मे से एक था और आरोप भी वही थे जिस पर प्राथमिकता दर्ज की गई थी। उक्त मामले मे न्यास विलेख दिनांक 18–10–1989 पेश किया गया था और साबित किया गया था और अंततः अपीलार्थी को उक्त मामले मे दिनांक 30–10–2015 को दोषमुक्त किया गया है। अन्य आपराधिक मामले मे, जिससे उसी प्रकार का आरोप लगाया गया था और जो उसी अनुबंध पर आधारित था जिसके आधार पर कृषि भूमि विक्रय किया गया था, जहां "एफ" के द्वारा उसी दिनांक को राशि 75,600/– अदा किया गया था, न्यास विलेख पेश किया गया था और जिसके आधार पर अपीलार्थी को दोषमुक्त किया लेखबद्व किया गया, अपीलार्थी द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 30–11–2015 को दोषमुक्त करने के फैसले का संदर्भ उच्च न्यायालय के समक्ष भी दिया गया है,लेकिन उच्च न्यायालय ने उन पर ध्यान नही दिया।{पैरा 21}

6. वर्तमान मामले के तथ्यो मे , अपीलीय न्यायालय ने दूसरे न्यास विलेख दिनांक 18–10–1989 और संकल्प क्रमांक 112 दिनांक 18–10–1989 को स्वीकार करने मे और अपीलार्थी को दस्तावेजो को साबित करने से साक्ष्य देने से इन्कार कर धारा 391

दं.प्र.सं. के तहत् अधिकारिता क्षेत्र का प्रयोग न कर त्रृटि की है। {पैरा 22}

राजेश्वर प्रसाद मिश्रा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य व एक अन्य, AIR1965 SC 1887; {1966}1 ScR 178

रामभाउ और एक अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य (2001) 4SCC 759 रू {2001}3ScR 210– जिस पर निर्भर किया गया।

परमिन्दर कौर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2010) 1SCC 322 रू (2009) 15ScR 430– से संदर्भित ।

संदर्भित न्याय दृष्टांत

{2009}15ScR 430 .से संदर्भित पैरा 6
{1966}1ScR .जिस पर निर्भर किया गया पैरा 12
{2001}3ScR 430 . जिस पर निर्भर किया गया पैरा 15

आपराधिक अपील अधिकार क्षेत्र: आपराधिक अपील नम्बर 148/2019

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्याय व्यवस्था विविध आपराधिक अपील नम्बर 34100/2015 मे पारित निर्णय और आदेश दिनांक 17–1–2017 से आर. एस. सूरी, वरिष्ठ अधिवक्ता गुरबख्श सिंह, एल. एस. हसन, जनरैल सिंह, अभिजीत पी. मंध अधिवक्ता अपीलार्थी के लिए।

रत्नाकरदास, अजय विक्रम सिंह, सुश्री प्रियंका सिंह, आर. के. सिंह, मकलेश आनंद अधिवक्ता उत्तरदाताओ के लिए।

न्यायालय का निर्णय अशोक भूषण न्यायमूर्ति द्वारा दिया गया था। 1. अनुमति दी गई।
2– यह अपील इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी द्वारा अंतर्गत धारा 482 दं.प्र.सं. के अंतर्गत दायर आवेदन को खारिज करने दिनांक 17–01–2017 के फैसले पर सवाल उठाते हुए दायर की गई है। जिसमे सत्र न्यायाधीश द्वारा दिनांक 02–11–2015 को अपीलार्थी द्वारा अंतर्गत धारा 391 दं.प्र.सं. के तहत् दायर दो आवेदनो को खारिज किया गया था को चुनौती दी गई थी।

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य, जो इस अपील का निराकरण करने के लिये ध्यान देना आवश्यक है वे है:–

3.1 सिंडे हॉर्स से संबंधित एक रेजिमेंटल ट्रस्ट भारतीय सेना की रेजिमेंटल 27–06–1959 पर पंजीकृत थी। न्यास के पास बिलासपुर ,जिला रामपुर मे गांव बिचाई,फूलपुर और बिहाट मे कृषि भूमि सहित विभिन्न अचल संपत्तियां थी। प्रत्यर्थी क्रमांक 2 के पास 1975 से गांव बिचाई मे ठेकेदार के रूप मे न्यास की 50 एकड कृषि भूमि थी। तहसील– बिलासपुर के तीन गांव मे न्यास की अन्य कृषि भूमि विभिन्न व्यक्तियों को ठेकेदार के रूप मे दी गई थी।

3.2 न्यास के अध्यक्ष का पद सिंडे हॉर्स रेजिमेंटल के सेनानायक के पास होता है। दिनांक 18–10–1989 को सिंडे हॉर्स रेजिमेंटल के सेनानायक द्वारा न्यास की घोषणा का विलेख निष्पादित किया गया जिसे न्यास की प्रकृति को न बदलते हुए नया न्यास विलेख होने का दावा किया गया। विलेख दिनांक 18–10–1989 (दिल्ली मे पंजीकृत), मे न्यास की भूमि जो जिला रामपुर मे स्थित है का विस्तृत विवरण भी उल्लेखित किया गया, जिससे ग्राम बिचाई स्थित 474 बिघा जमीन भी शामिल था । न्यास विलेख की एक कंडिका मे यह उल्लेख है कि सभी न्यासियो की सर्वसम्मिति से न्यास के कोरपस मे बदलाव किया जा सकता है। दिनांक 18–10–1989 को सभी न्यासियो द्वारा प्रस्ताव क्रमांक 112 पारित किया गया जिससे सर्वसम्मिति से यह फैसला लिया गया कि कर्नल रवि इन्दर सिंह, ब्रिगेडियर सुखजीत सिंह, डटब्,मेजर जनरल बी. एस. मलिक एवं मेजर रोशनलाल को न्यासियो की ओर से कार्य करने हेतु ग्राम बिचाई फूलपुर और बिहट मे स्थित कृषि भूमि एवं उसमे निर्मित भवन का विक्रय किये जाने हेतु न्यास के नाम पर कार्य करेंगे। उक्त प्रस्ताव मे अन्य शर्ते भूमियों का पंजीयन कराना भी शामिल किया गया था।

3.3 दिनांक 18–10–89 मे न्यास विलेख एवं प्रस्ताव के अनुशरण मे सिंडे हॉर्स ट्रस्ट एवं प्रतिवादी क्रमांक 02 श्री हरगुरशरण सिंह (शिकायतकर्ता) एवं भूमि के अन्य क्रेता के मध्य एक अनुबंध जारी किया गया।अनुबंध मे एक शर्त यह भी थी कि भुगतान को भुगतान आदेश या बैंक ड्राप्ट के माध्यम से सिंडे हॉर्स ट्रस्ट के नाम पर किया जाना आवश्यक था। दिनांक 28–04–1991 को एक और अनुबंध श्री हरगुरशरण सिंह (परिवादी) एवं अन्य क्रेता के मध्य निष्पादित किया गया जिसके अनुसार परिवादी को 40 एकड भूमि 44,000/–45,000/– एकड के हिसाब से भूमि का अधिग्रहण करना था। दिनांक 03–07–1991 को

शिकायतकर्ता कर्नल रवि इन्दर सिंह को राशि 100,400/–रूपये अग्रिम धन स्वरूप प्रदान किया गया।

3.4 शिकायतकर्ता को जब भूमि विक्रय नही किया गया तब उसने दिनांक 12–12–1991 को प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज करायी। मुख्य रूप से शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज प्रथम सूचना रिर्पोट के अनुसार यघपि शिकायतकर्ता न्याय की भूमि को राशि 44,000/– 45,000/– की दर से क्रय करने के लिये सहमत था उसके लिये उसने दिनांक 03–07–1991 को राशि 100,400/– अग्रिम राशि के रूप मे कर्नल रवि इन्दर सिंह को प्रदान किया, जिसने उसे आश्वासन दिया की उक्त विक्रय दिनांक 08–07–1991 तक निष्पादित कर दी जायेगी, यघपि आज दिनांक तक विक्रय निष्पादित नही किया गया। और न अभियुक्तगण उक्त विक्रयपत्र को निष्पादित करने के लिये इच्छुक है। शिकायतकर्ता को बाद मे यह भी जानकारी मिली कि अभियुक्तो को न्यास की भूमि को विक्रय किये जाने की कोई अनुमति न्यायालय से प्राप्त नही हुआ है। उक्त आरोप पर धारा 420,406 भा.दं.सं. का प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज किया गया।

3.5 एक ऐसा ही आरोप इन्ही अभियुक्तो के खिलाफ श्री फतेहसिंह के द्वारा लगाया गया जिसमे श्री फतेहसिंह ने दावा किया था कि उसने भी कर्नल रवि इन्दर सिंह को दिनांक 03–07–1991 को राशि 75600/– अग्रिम राशि के रूप मे भुगतान किया है और विक्रय निष्पादित नही हुआ और प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज की गई।

3.6 शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज कराई कई प्रथम सूचना रिर्पोट पर अंतर्गत धारा 420/406 भा.दं.सं. का अपराध क्रमांक 315/1991 दर्ज किया गया था और श्री फतेह सिंह द्वारा प्रस्तुत की गई प्रथम सूचना रिर्पोट पर अपराध क्रमांक 315–ए/1991 अंतर्गत धारा 420/406 भा.दं.सं. का मामला दर्ज किया गया था। दोनो अपराध संख्या मे जांच पर भा.दं.सं. की धारा 419,420,467,471 और 120–बी के तहत् अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था।

3.7 अपीलार्थी जो अन्य अभियुक्तो मे से एक था ने विविध आपराधिक याचिका क्रमांक 6027/1993 और 6028/1993 दायर किया था और प्रथम सूचना रिर्पोट क्रमांक 315/1991 और 315–ए/1991 और मुख्य न्यायिक मजिस्टे[a]ट रायपुर द्वारा अभियुक्त व्यक्तियों को समन करने के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया था।

3.8 यद्यपि उच्च न्यायालय ने मामले के तथ्यो को ध्यान मे रखते हुए ध्यान दिया कि दोनो शिकायर्ता ने श्री हरगुरशरण सिंह और श्री फतेहसिंह दोनो से राशि 1,75,000/– की प्राप्त करना स्वीकार किया है। उच्च न्यायालय ने आगे ध्यान दिया कि स्टाम्प पेपर 1,75,000/–रूपये का खरीदा गया है। उच्च न्यायालय ने यह भी देखा कि यह स्वीकार्य तथ्य है कि न्यास की भूमि को बेचने की अनुमति के लिए जिला न्यायाधीश के न्यायालय में आवेदन दाखिल किया गया है, किन्तु उसे इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि उक्त संबंध मे सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 92 के तहत् उचित आदेश पारित किया जा सकता है जो नही किया गया था। उच्च न्यायालय ने यह भी देखा कि याचिकाकर्ताओ ने श्री सोली सोराबजी सहित दो प्रतिष्ठित न्यायविदो से जानकारी प्राप्त की, जिन्होने राय दिया कि न्यायसियो के पास वर्तमान मामले मे न्यास की भूमि बेचने का अधिकार है। उच्च न्यायालय ने तथ्यो पर ध्यान देने के बाद निर्णय लेते समय निम्नलिखित टिप्पणियां की थी–

ष्..... दावे के साथ अनुलग्नक को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा संपत्ति की पूरी राशि का उपयोग स्टाम्प पेपर खरीदने के उद्देश्य से किया गया है इसमे कोई बेईमानी नही थी।एक समझौता आगे बढाया गया कि छः माह के बाद स्टाम्प पेपर को भुनाया नही जा सका, इससे उत्तरवादी क्र0 2 को किसी भी तरह से नुकसान या चोट पहुंचाने के बेईमान ईरादे के लिए जिम्मेदार नही ठहराया जा सकता है और यह याचिकाकर्ता के खिलाफ मूल आरोप भी नही है। किसी भी याचिकाकर्ता द्वारा 1,76,000/–रूपये का दुरूपयोग के लिए धारा 406 भा.दं.सं. का आरोप स्थिर नही रखा जा सकता, यहां यह भी आरोप नही है कि किसी ने दस्तावेजो की कूटरचना की –––––––''

3.9 उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि याचिकाकर्ताओ (आवेदको) के खिलाफ भा.दं.वि. की धारा 120–बी के तहत् आपराधिक षडयंत्र का आरोप विफल रहा। उच्च न्यायालय का विचार था साक्ष्य लेने के स्तर पर तथ्यात्मक सामग्री की और जांच करने की आवश्यकता होगी, उस समय छल के तत्वो के संबंध मे दोनो पक्षो के तर्को की साक्ष्य की जांच की जा सकती है। उक्त न्यायालय ने उक्त संबंध कोई भी राय व्यक्त करने से परहेज किया। उक्त न्यायालय ने उपरोक्त विचार के परिणामस्वरूप आवेदनो को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर दिया। उच्च न्यायालय ने आगे निर्देश दिया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट याचिकाकर्ता क्रमांक 01 और क्रमांक 02 के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 420/34 के तहत् नये सिरे से संज्ञान लेने और तद्नुसार

प्रक्रिया जारी करेगें। प्रथम सूचना रिर्पोट और अभियोगपत्र को रद्द करने की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया गया। याचिकाकर्ता क्रमांक 3 एवं 4 को उन्मोचित कर दिया गया।

3.10 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09–11–1995 के बाद दिनांक 18–11–1996 को भा.दं.सं. की धारा 420/34 के तहत् आरोप विरचित किये गये थे। दिनांक 17–11–2000 को अभियोजन पक्ष का साक्ष्य शुरू हुआ। अभियोजन पक्ष ने दिनांक 21–11–2000 को अपना साक्ष्य पूरा किया। इसके बाद, बचावपक्ष के साक्ष्य भी दर्ज किये गये और विचारण न्यायालय ने दिनांक 07–10–2013 को अपना फैसला सुनाया और अपीलार्थी को भा.दं.वि. की धारा 420 सहपठित धारा 34 के तहत् दोषी ठहराया और पांच साल का साधारण कारावास और 25,000/– रूपये जुर्माना की सजा सुनायी। अन्य सह अभियुक्त कर्नल रवि इन्दर सिंह की विचारण के दौरान मृत्यु हो जाने के कारण, अपीलार्थी को हिरासत मे ले लिया गया और जेल भेज दिया गया था।

3.11 दिनांक 08–10–2013 को अपीलार्थी द्वारा सत्र न्यायाधीश रामपुर की अदालत मे एक आपराधिक अपील क्रमांक 57/2013 दायर की गई थी। दिनांक 26–06–2014 को धारा 397 दं.प्र.सं. (14 ख) के तहत उक्त न्यास विलेख दिनांक 18–10–1989 और संकल्प क्रमांक 112 को अभिलेख पर रखने के लिये आवेदन दायर किया गया था। आवेदन मे कहा गया था कि न्यास विलेख दिल्ली के पंजीयक के पास पंजीकृत था, और न्यास विलेख की फोटो कापी निचली अदालत मे पेपर नम्बर 30 ख्ध्46 के रूप मे उपलब्ध है, जिसका उल्लेख अपेक्षित निर्णय मे भी किया गया है। आवेदन के साथ प्रमाणित प्रति इस प्रार्थना के साथ दायर की गई थी कि दस्तावेज को अभिलेख पर लिया जाए और न्यासियो द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रमाणित प्रति दायर की गई थी जिसे अभिलेख पर लेने की प्रार्थना की गई थी।

3.12 दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 391 (17 ख) के तहत् एक अन्य आवेदन दिनांक 15–07–2014 को दायर किया गया था जिसमे न्यास विलेख दिनांक 18–10–1989 और संकल्प क्रमांक 112 को साबित करने के लिये गवाहो को बुलाने की प्रार्थना की गई थी।दोनो आवेदन जिला न्यायाधीश के समक्ष विचार के लिये आए, जिन्होने अपने आदेश दिनांक 02–11–2015 को दोनो आवेदनो को खारिज कर दिया। अपीलीय न्यायालय ने अभिमत दिया कि निचली अदालत के अभिलेख से पता चलता है कि मामला बहुत पुराना है ,और यह कई वर्षो से विचारण मे लंबित रहा है। अभियुक्त अपीलार्थी को बचाव मे साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिये पर्याप्त अवसर दिया गया था, इन दस्तावेजो को विचारण न्यायालय मे

साबित क्यो नही कराया गया इसका कोई पर्याप्त आधार नही दिख रहा है।अतः आवेदन निरस्त किये जाने योग्य है।

3.13 आवेदक द्वारा आदेश दिनांक 02–11–2015 के विरूद्व उच्च न्यायालय मे धारा 482 दं.प्र.सं. के तहत् आवेदन दायर किया गया था, जिसे उच्च न्यायालय ने अपने आक्षेपित निर्णय दिनांक 17–01–2017 को निरस्त कर दिया। उच्च न्यायालय का विचार था कि आवेदक द्वारा पेश किया गया आवेदन विलंबित स्तर दुर्भावनापूर्ण उद्वेश्य या अपील के निर्णय को अनंतकाल तक विलंबित करने के लिये प्रतीत होता है। उच्च न्यायालय ने दं.प्र.सं. की धारा 482 के तहत पेश आवेदन को खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी इस अपील मे आया है।

4. हमने अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर. एस. सूरी को सुना, श्री रत्नाकर दास विद्वान अधिवक्ता उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित हुए थे, श्री हरगुरशरण सिंह उत्तरवादी क्रमांक 3 शिकायतकर्ता व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए थे और उनकी बात विस्तार से सुनी गई ।

5. अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर. एस. सूरी का कहना है अपीलीय न्यायालय ने दायर आवेदनो को अस्वीकार करने मे त्रृटि की है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना है कि इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी भारतीय सेना का सेवानिवृत ब्रिगेडियर है जिसने सशस्त्र बलो मे विशिष्ट और सराहनीय सेवाये दी थी। उन्हे सन् 1971 के युद्व मे महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था। अपीलार्थी न्यास का न्यासी था और न्यास द्वारा न्यास के अन्य सदस्यो के साथ न्यास की भूमि बेचने के लिये अधिकृत किया गया था। अपीलार्थी को शिकायतकर्ताओं से एक भी रूपया नही मिला। शिकायतकर्ता (श्री हरगुरशरण सिंह) ने दावा किया है कि उसने कर्नल रवि इन्दर सिंह को 100,400/–रूपये का भुगतान किया था और एक अन्य शिकायतकर्ता (फतेह सिंह) ने कर्नल रवि इन्दर सिंह को 75600/–रूपये का भुगतान किया था। स्टाम्प डियूटी 1,75000/– रूपये की खरीदी की गई थी, जिसका दस्तावेज अभिलेख मे था। अपीलकर्ता या न्यास द्वारा किसी भी राशि का दुरूपयोग या उपयोग नही किया गया था। अपीलार्थी के खिलाफ लगाया गया छल या धोखाधडी का आरोप पूरी तरह से झूठा और गलत है। दूसरा न्यास विलेख दिनांक 18–10–1989 भी अभिलेख (शिकायतकर्ता द्वारा स्वंय द्वारा पेश किया गया फोटो कापी)पर था, जिसे विचारण न्यायालय ने अपने फैसले मे पेपर संख्या 30ख/46 के रूप मे देखा है। अपीलकर्ता और उसके

अधिवक्ता के चूंक के कारण उपरोक्त न्याय विलेख और न्यासियो को अधिकृत करने वाले संकल्प को विचारण न्यायालय के समक्ष साबित नही किया जा सका, जबकि उपरोक्त न्यास विलेख और संकल्प को अपराध क्रमांक 315–ए/1991 मे देखा और साबित किया गया जिसे श्री फतेहसिंह के द्वारा पेश किया गया था।

6. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा कि, अपराध क्रमांक 315–ए/1991 के मामले मे, जो अपीलार्थी के खिलाफ समान आरोप पर आधारित था, विचारण न्यायालय ने अपने फैसले एवं आदेश दिनांक 30–11–2015 द्वारा अपीलार्थी को भा.दं.वि. की धारा 420/34 के आरोप से दोषमुक्त कर दिया था। उपरोक्त मामलो मे विचारण न्यायालय ने दूसरे न्यास विलेख के साथ–साथ संकल्प क्रमांक 112 पर भी ध्यान दिया, जो विधिवत साबित हुए थे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह चूक है कि दूसरा न्यास विलेख और संकल्प, जो न्याय भूमि की बिक्री के लिये शिकायतकर्ता के साथ अनुबंध मे प्रवेश करने का आधार था, साबित नही किया जा सका जबकि उन्हे संदर्भित किया गया था और अभिलेख का हिस्सा था और अन्य मामले मे साबित किया गया था। श्री सूरी का कहना है कि अपीलीय न्यायालय ने अभिलेख पर दस्तावेजो को स्वीकार करने और अपीलार्थी को उक्त दस्तावेजो को साबित करने के लिए साक्ष्य पेश करने की अनुमति नही देने मे धारा 391 दं.प्र.सं. के तहत् अधिकारिता क्षेत्र का प्रयोग नही करने मे त्रृटि की, जिसके परिणाम स्वरूप न्याय की विफलता हुई है। श्री सूरी ने आगे कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिर्पोट अपीलकर्ता के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण अभियोजन का एक और उद्◌ाहरण था।

उनका कहना है कि यह न्यायालय परमिंदर कौर बनाम उत्तरप्रदेश राज्य और अन्य (2010) 1 ब्ब् 322: AIR 2018 SC 840 मे हरगुरशरण सिंह द्वारा दर्ज की गई शिकायत से उत्पन्न कार्यवाही को रद्द करते हुए कहा गया है कि हरगुरशरण ने अपने साली के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण और प्रतिशोधपूर्ण अभियोजन का मामला दर्ज किया था जिसे इस न्यायालय ने रद्द कर दिया।

7. श्री सूरी ने आगे कहा कि अपीलीय न्यायालय को यह पता लगाने और यह सुनिश्चित करने के लिये कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति दोषी न ठहराया जाए, अपीलार्थी को दूसरे न्यास विलेख और संकल्प को साबित करने के लिये साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देना चाहिये था, जिसके इन्कार करने से भारी अन्याय हुआ ।

8. उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रत्नाकर दास का कहना है कि दं.प्र.सं. की धारा 391 के तहत् शक्ति का प्रयोग संयम और न्याय तक पहूंचने के लिए किया जाना चाहिये। उनका कहना है कि अपीलार्थी को न्यास विलेख और संकल्प को साबित करने के लिये साक्ष्य पेश करने की अनुमति देने से नये सिरे से विचारण किया जायेगा। उन्होने आगे कहा कि भले ही न्यास विलेख दिनांक 18–10–1989 की प्रमाणित प्रति अभिलेख पर ले ली जाए, उन्हे स्पष्ट रूप से कहा कि दस्तावेजो को अभिलेख पर स्वीकार कर लिया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नही है लेकिन साक्ष्य पेश करने का अवसर दिये जाने पर बहुत समय लगेगा, जिसमे अपील के निराकरण मे देरी होगी। उनका कहना है कि आवेदन (17 ख) मे की गई प्रार्थना मे भी कोई गवाह सूचीबद्व नही किया गया है जो दस्तावेजो को साबित कर सकता। केवल यह तथ्य की दस्तावेजो का पंजीकरण साबित हो गया है, इसका मतलब यह नही होगा कि विषयवस्तु साबित हो गई है।

9. श्री हरगुरशरण ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश जिसके तहत् अपीलार्थी द्वारा पेश आवेदन अंतर्गत धारा 397 दं.प्र.सं. को निरस्त किया गया है का समर्थन किया है। उसका कथन है कि यह एस.एल.पी. केवल आपराधिक अपील के निपटारे मे देरी करने के इरादे से दायर की गई है। उसका कहना है कि अपीलार्थी ने जमीन की बिक्री के लिये जिला न्यायाधीश से अनुमति नही ली थी और जिला न्यायाधीश ने दिनांक 27–10–1989 को आवेदन खारिज कर दिया था और आवेदन को अस्वीकार किये जाने के बावजूद, अपीलार्थी और न्यास के अन्य सदस्यो ने भूमि बेचने की प्रक्रिया मे आगे बढे, जिसके कारण शिकायतकर्ता कर्नल रवि इन्दर सिंह को रूपये 100,400/– की राशि का भुगतान करना पडा। अपीलार्थी को दिनांक 07–10–2013 को दोषी ठहराया गया था और धारा 391 दं.प्र.सं. के तहत् आवेदन को महिनो बाद दायर किया गया था। अपीलार्थी द्वारा बचाव मे साक्ष्य प्रस्तुत करने के अवसर का लाभ उठाया गया था। सत्र न्यायाधीश ने धारा 391 दं.प्र.सं. के तहत् पेश आवेदन को ठोस कारण बताते हुए खारिज किया है। उच्च न्यायालय ने भी उक्त आदेश को सही ठहराया है, जिसमे इस न्यायालय को हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। अपीलार्थी द्वारा आवेदन केवल अपने अपराध को छुपाने के लिये पेश किया गया है। अपीलार्थी एक ही समय मे अनुमोदन और खण्डन कर रहा है। दस्तावेज दिनांक 18–10–1989 पहले से ही फाईल मे है और इसलिये इसे दुबारा लाने की आवश्यकता नही है। मूल न्यास विलेख दिनांक 27–06–1959 को रामपुर मे पंजीकृत किया गया था, जो अभी भी वैध है।

अनुमति देने से इन्कार करने के बावजूद, अपीलार्थी तर्क दे रहे है कि उन्हे अभी भी संपत्ति बेचने का अधिकार है। श्री हरगुरशरण सिंह ने आगे कहा है कि अपीलार्थी ने जालसाजी और धोखाघडी की है। उन्होने पेपर बुक के पृष्ठ क्रमांक 28, पैरा नं. 08 का उल्लेख किया है और पेश किया है कि पैरा नं 8 शब्द "नही" को खण्ड क्रमांक 8 से हटा दिया है। जो दर्शाता है कि अपीलार्थी इस न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथो से नही आया है और इस न्यायालय से भी न्यास विलेख के वास्तविक खण्ड को छुपाया है। उसने आगे कहा है कि इस न्यायालय को सत्र न्यायाधीश के समक्ष लंबित आपराधिक अपील की सुनवाई की निगरानी करनी चाहिये।

10. हमने पक्षकारो के दलीलो पर विचार किया और अभिलेख का अवलोकन किया है।

11. वर्तमान अपील मे, हम केवल अपीलार्थी द्वारा दोषसिद्व आदेश के खिलाफ सत्र न्यायाधीश के समक्ष दं.प्र.सं. की धारा 391 के तहत् पेश आवेदन की अभिस्वीकृति से चिंितंत है, क्या सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी को अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने की अनुमति देने मे धारा 391 दं.प्र.सं. तहत् शक्ति का प्रयोग नही करने मे त्रृटि की है यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर दिया जाना चाहिये। क्या उच्च न्यायालय ने न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिये धारा 482 दं.प्र.सं. के तहत् शक्तियों का प्रयोग न कर त्रुटि की है।

12. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 का अध्याय गगपग " अपील " से संबंधित है। दं. प्र.सं. की धारा 391 अपीलीय न्यायालय को आगे साक्ष्य लेने या इसे लेने का अधिकार देती है। धारा 391 इस प्रकार है:–

''धारा 391. अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा या उसके लिये जाने का निदेश दे सकेगा– (1) इस अध्याय के अधिन किसी अपील पर विचार करने मे यदि अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य आवश्यक समझता है तो वह अपने कारणो को अभिलिखित करेगा और ऐसा साक्ष्य या तो स्वंय ले सकता है या मजिस्ट्रेट द्वारा या जब अपीलीय न्यायालय या उच्च न्यायालय है तब सेशन न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा, लिये जाने का निदेश दे सकता है।

(2) जब अतिरिक्त साक्ष्य सेशन न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा ले लिया जाता है तब वह ऐसा साक्ष्य प्रमाणित करने अपील

न्यायालय को भेजेगा और तब ऐसा न्यायालय अपील निपटाने के लिये अग्रसर होगा।

(3) अभियुक्त या उसके प्लीडर को उस समय उपस्थित होने का अधिकार होगा जब अतिरिक्त साक्ष्य लिया जाता है।

(4) इस धारा के अधीन साक्ष्य का लिया जाना अध्याय 23 के उपबंधो के अधीन होगा मानो वह कोई जांच है।''

13. धारा 391 (1) मे मुख्य शब्द्व है "यदि वह अतिरिक्त साक्ष्य को आवश्यक समझता है "। धारा 391 (1) मे प्रयुक्त "आवश्यक" शब्द्व अपील पर निर्णय लेने के लिये आवश्यक है। अपील उन अभियुक्तो द्वारा दायर की गई है जिन्हे दोषी ठहराया गया है। अपीलीय न्यायालय की शक्तियां धारा 386 मे निहित है। दोषसिद्धि की अपील मे, एक अपीलीय न्यायालय धारा 386 (बी) के तहत् शक्ति का प्रयोग कर सकता है, जिसका प्रभाव निम्नलिखित है –

(ख) दोषसिद्धि से अपील मे –

(i) निष्कर्ष और दण्डादेश को उलट सकता है और अभियुक्त को दोषमुक्त या उन्मोचित कर सकता है या ऐसे अपीलीय न्यायालय के अधिनस्थ सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा उनके पुनः विचारित किये जाने का या विचारण सुपुर्द करने किए जाने का आदेश दे सकता है, अथवा

(ii) दण्डादेश को कायम रखते हुए निष्कर्ष मे परिवर्तन कर सकता है, अथवा

(iii) निष्कर्ष मे परिर्वतन करके, या किये बिना दण्ड के स्वरूप या

परिणाम मे अथवा स्वरूप व परिणाम मे परिवर्तन कर सकता है, किन्तुं इस प्रकार नही की उससे दण्ड मे वृद्वि हो जाए,

14. इस प्रकार, धारा 391 के तहत् अतिरिक्त साक्ष्य लेने की शक्तियां न्याय सुनिश्चित करने के लिये अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील पर उचित निर्णय लेने के उद्देश्य से है। राजेश्वर प्रसाद मिश्रा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य, ए. आई. आर. 1965 एस.सी. 1887 के मामले मे इस न्यायालय के समक्ष दं.प्र.सं. की धारा 391 का दायरा और विस्तार क्षेत्र विचार के लिये आया है। न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला, ने पीठ की ओर से बोलते हुए कहा कि अपीलीय न्यायालय को व्यापक विवेकाधिकार प्रदान किया गया है

और अतिरिक्त साक्ष्य कई कारणो से आवश्यक हो सकते है। उनका कहना है कि अतिरिक्त साक्ष्य इस लिये आवश्यक नही होना चाहिये क्योकि निर्णय सुनाना असंभव होगा, बल्कि इसलिये कि इसके बिना न्याय की विफलता होगी। पैरा ग्राफ नं 8 एवं 9 मे निम्न लिखित उल्लेख किया गया है:–

"8. ..... चूंकि अपीलीय न्यायालय को व्यापक विवेकाधिकार प्रदान किया गया है,इसलिये न्यायालयो के अधिकार क्षेत्र की स्पष्ट रूप से स्थिति की तत्कालिकता से तय होनी चाहिये और निष्पक्ष खेल और अच्छी भावना ही एकमात्र सुरक्षित मार्गदर्शक प्रतीत होती है। इसमे कोई सन्देह नही कि, दुबारा सुनवाई का आदेश देने और अतिरिक्त साक्ष्य लेने की शक्ति के बीच कुछ समानता है। यदि पूर्व मे उचित रूप से कठोर कदम नही उठाया गया तब अतिरिक्त साक्ष्य लेना पर्याप्त नही होगा। दोनो कार्यवाहियां न्याय की विफलता को एक शर्त के रूप मे दर्शाती है। वहां समानता समाप्त हो जाती है और इस न्यायालय द्वारा दूसरे खण्ड की व्यवस्था मे की गई टिप्पणियों की सहायता से एक खण्ड की व्यवस्था कराना शायद ही उचित है।

9. अतिरिक्त साक्ष्य कई कारणो से आवश्यक हो सकते है, जिन्हे विधायिका द्वारा किए गये कार्यो को करने के लिए की गई टिप्पणियो की सहायता से एक खण्ड को समझना शायद ही उचित है, अर्थात निश्चित परिस्थितियो मे अपीलीय न्यायालय के विवेक को नियंत्रित करना,यघपि यह कहा जा सकता है कि अतिरिक्त साक्ष्य आवश्यक होना चाहिये इसलिये नही की निर्णय सुनाना असंभव होगा बल्कि इसलिये कि इसके बिना न्याय की विफलता होगी। शक्तियों का प्रयोग संयम से और केवल उपयुक्त मामलो मे ही किया जाना चाहिये।एक बार जब ऐसी कार्यवाही उचित हो जाती है तब प्राप्त होने वाले साक्ष्य के प्रकार पर कोई प्रतिबंध नही होता है। यह औपचारिक या सारवान हो सकता है। निःसंदेह इसे इस तरह स्वीकार नही किया जाना चाहिये कि इससे अभियुक्त के प्रति पूर्णग्रह पैदा हो, उदाहरण के लिये इसे दुबारा विचारण के लिये या उसके खिलाफ मामले की प्रकृति को बदलने के लिये स्वीकार नही किया जाना चाहिये। यदि अभियोजन को उचित अवसर मिला है और उसने इसका उचित लाभ नही उठाया है तो आदेश सामान्य रूप से नही दिया जाना चाहिये,जब तक न्याय की आवश्यकताए अन्यथा निर्देशित न हो.....।"

15. यह न्यायालय फिर से रामभाउ व अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य,(2001) 4 SCC 759 मे धारा 391 दं.प्र.सं. के तहत्

अपीलीय न्यायालय की शक्ति का उल्लेख किया था। पैराग्राफ नं. 1 और 2 मे निम्नलिखित कहा गया था:–

1. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 391 के संदर्भ मे अतिरिक्त साक्ष्य प्राप्त करने के लिए व्यापक विवेकाधिकार उपलब्ध है। वैधानिक प्रावधानो (धारा 391) पर एक स्पष्ट नजर डालने से पता चलेगा–––––––––ः

2. हांलाकि, मार्गदर्शन के लिए सावधानी का एक शब्द पेश किया जाना चाहिए, कि यह अतिरिक्त साक्ष्य इस तरह से प्राप्त नही किया जाना चाहिए, जिससे अभियुक्त पर कोई पूर्वाग्रह पैदा हो। यह दोबारा सुनवाई या अभियुक्त के खिलाफ मामले की प्रकृति को बदलने का दिखावा नही है।यह न्यायालय राजेश्वर प्रसाद मिश्रा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में बिना किसी अनिश्चित शर्त के कहा कि आदेश सामान्य रूप से नही दिया जाना चाहिए यदि अभियोजन पक्ष को उचित अवसर मिला है और उसने इसका लाभ नहीं उठाया हैं। यद्यपि यह न्यायालय के लिए पर्याप्त रूप से स्पष्ट था कि यह न्याय की अवधारणा है जिसे प्रबल होना चाहिए और यदि यह संहिता द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग को निर्देशित करता है तो इसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए।

16. जैसा कि इस न्यायालय द्वारा उपर उल्लेख किया गया है, यह स्पष्ट है कि अपीलीय न्यायालय को धारा 397 द.प्र.सं. की शक्ति पर कोई बन्धन नहीं है। न्यायालय को न्याय के उददेश्य को सुरक्षित करने के लिए सभी शक्तियॉ प्रदान की जाती है। न्यायिक प्रशासन का अंतिम उददेश्य न्याय के उददेश्य को सुरक्षित करना है। न्यायालय लोगों को न्याय प्रदान करने के लिए मौजुद है।

17. अब, हम वर्तमान मामले के तथ्यों पर वापस लौटते है कि क्या अपीलीय स्तर पर अतिरिक्त साक्ष्य जोडने की अनुमति देने के लिए धारा 391 द.प्र.सं. के तहत अपीलीय न्यायालय द्वारा शक्ति का प्रयोग करने का मामला मौजुद था। जैसा कि उपर उल्लेख किया गया है, तथ्य यह दर्शाते है कि यह स्वीकृत है कि न्यास ग्राम बिचाई में कृषि भूमि का मालिक है। शिकायतकर्ता के मामले के अनुसार उसके पास सन 1975 से न्याय के ठेकेदार के रूप में बडी संख्या में कृषि भूमि पर उसका कब्जा है, जिसका उल्लेख उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी किया है। अपीलीय न्यायालय में न्यास विलेख दिनांक 18.10.1989 का संकल्प संख्या,112 दिनांक 18.10.1989 की प्रमाणित प्रति स्वीकार करने और अपीलार्थी को मौखिक साक्ष्य के माध्यम से उक्त दस्तावेज को साबित करने की अनुमति देने के लिए द.प्र.सं. की धारा 391 के तहत आवेदन किया गया। न्यास विलेख का उल्लेख विचारण न्यायालय ने भी अपने निर्णय दिनांक

07.10.2013 में किया है। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि ''न्यास विलेख दिनांक 18.10.1989 की पेपर क्रमांक 30 खध्46 के रूप में अभिलेख पर उपलब्ध है''। विचारण न्यायालय ने आगे कहा कि ''यहां यह उल्लेख करना उचित है कि अभियुक्त ने न्यास विलेख दिनांक 18.10.1989 को साक्ष्य के माध्यम से साबित नहीं किया था''।

18. अभिलेख में जो उपलब्ध था वह न्यास विलेख की फोटो कॉपी थी। न्यास विलेख साबित न होने के कारण विचारण न्यायालय ने न्यास विलेख और संकल्प पर विचार नही किया, जो कृषि भूमि की बिक्री के लिए अनुबंध में प्रवेश करने के लिए अपीलकर्ता और अन्य न्यासियों के आचरण को समझने और जानने के लिए प्रसंगिक थे। उपर बताए गए तथ्य बताता है कि अभियोजन ने दिनांक 17.11.2000 को अपना साक्ष्य दर्ज करना शुरू किया जो दिनांक 21.11.2012 को समाप्त हुआ था। अभियोजन पक्ष को अपना साक्ष्य पेश करने के लिए बारह वर्ष की अवधि लगी और दिनांक 21.11.2012 के बाद दिनांक 07.10.2013 को निर्णय सुनाया गया। अपीलार्थी को भा.द.वि. की धारा 420/34 के अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था, यह आरोप स्वीकार करते हुए कि शिकायतकर्ता को ट्रस्ट की कृषि भूमि की बिक्री के संबंध में धोखा दिया गया था। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी के द.प्र.सं. की धारा 482 के तहत दायर आवेदन को खारिज करते हुए निम्नलिखित टिप्पणियॉ की हैं:–

''.....ऐसे विलम्बित स्तर में आवेदक द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने के लिए दिया गया आवेदन सदभाविक नहीं है और ऐसा प्रतीत होता है जिसे दुर्भावनापूर्वक उद्देश्य या निर्णय को विलंबित करने के आशय से प्रस्तुत किया गया है.....''

19. उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया उपरोक्त दोनो कारण धारा 482 के तहत पेश आवेदन को खारीज करने में उच्च न्यायालय द्वारा भरोषा किया जाना निराधार है। उच्च न्यायालय का पहला निगरानी यह है कि विलंबित स्तर पर साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। वर्तमान मामले के तथ्यों में हम उपरोक्त निगरानी को स्वीकार नहीं करते। जब अपीलीय न्यायालय को शक्ति दी गई है कि वह अतिरिक्त साक्ष्य के लिए अग्रसर हो सकता है तब यह निगरानी की देर से पेश किया गया था अनावश्यक था। अपीलार्थी को दिनांक 07.10.2013 को दोषी ठहराया गया ओर अपील तुरंत अगली तारीख 08.10.2013 को पेश की गई है। उच्च न्यायालय द्वारा यह भी उल्लेख नहीं किया गया था कि, अभिलेख पर ऐसा कुछ है जो यह दर्शित करता हो कि

अपील पर सुनवाई हो रही थी और इस स्तर पर द.प्र.सं. की धारा 391 के तहत आवेदन पेश किया गया था, विलंबित स्तर पर पेश किया गया आवेदन को अनुचित कहना अनुचित था।इसके अलावा उच्च न्यायालय का यह भी निगरानी था कि आवेदन दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य के साथ पेश किया गया था । हम उससे भी सहमत नहीं है । अपीलार्थी को विचारण न्यायालय द्वारा पहले ही दोषी ठहराया जा चुका था, आरोप शिकायतकर्ता को न्यास की कृषि भूमि को बिक्री करने के संबंध में धोखा देना था। दूसरा न्यास विलेख दिनांक 18.10.1989, अभिलेख पर था और विचारण न्यायालय द्वारा संदर्भित किया गया था और इस आधार पर विचार करने से इन्कार कर दिया गया था कि अपीलकर्ता द्वारा साबित नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय के समक्ष न्यास विलेख और संकल्प की प्रमाणित प्रति स्वीकार करने और अपीलार्थी को साक्ष्य पेश करने की अनुमति देने के लिए आवेदन पेश करना किसी भी तरह से अभियुक्त का दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य नहीं कहा जा सकता, जिसे अपील में दोषी ठहराया गया है, जो अपीलीय न्यायालय के अनुसार अपील का निराकरण करने के लिए आवश्यक है। जैसा की उपर उल्लेख किया गया है कि, इस न्यायालय ने निर्धारित किया है कि जब अतिरिक्त साक्ष्य दर्ज किया जाना आवश्यक है तब कोई निश्चित सूत्र लागु नहीं किया जा सकता। यह हर मामले की परिस्थिति एवं तथ्य पर निर्भर करेगा कि प्रत्येक मामले के निष्कर्ष के लिए अतिरिक्त साक्ष्य लेना आवश्यक है या नहीं। यह एक ऐसा मामला है जहां अपीलकर्ता और उसके अधिवक्ता के चूक के कारण दूसरा न्यास विलेख, जो भूमि की बिक्री के लिए कदम उठाने का आधार था, साबित नहीं किया जा सकता।

20. उच्च न्यायालय का दूसरा टिप्पणी यह है कि अपीलीय स्तर पर अतिरिक्त साक्ष्य लेने का आवेदन अपीलकर्ता द्वारा अपील के निर्णय को अनंतकाल तक विलंबित करने के लिए दायर किया गया है, हम यह देखने में विफल है कि जब अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य प्रस्तुत करने में बारह वर्ष का समय लिया विचारण न्यायालय से पहले और विचारण द्वारा दिनांक 07.10.2013 को फैसला सुनाए जाने के पहले, अपील दिनांक 08.10.2013 को दायर कर दी गई थी, अपीलकर्ता को इस आरोप के साथ कैसे दोषी ठहराया जा सकता है कि वह अपील को अनंतकाल तक विलंबित करने का इरादा रखता था। अवलोकन अनावश्यक रूप से अनुचित और गलत था। जब कानून किसी अभियुक्त को अपील करने का अधिकार देता है तो उसे न्याय के लिए सभी कदम उठाने और अपीलीय न्यायालय के सभी शक्तियों का लाभ उठाने का अधिकार है। किसी आपराधिक मामले में अपीलीय अदालत को इस बात पर

विचार करना होता है कि क्या अभियुक्त की दोषसिद्धी टिकाउ है या अपीलकर्ता ने बरी होने का मामला बनाया है। सभी न्यायालयों का प्रयास सत्य और न्याय तक पहूंचना है। शिकायतकर्ता का मामला यह भी है कि न्यास विलेख के निष्पादन के बाद ही कृषि भूमि की बिक्री की प्रक्रिया की शुरूवात के लिए नींव और आधार है, के दस्तावेज थे जिन्हे आपराधिक इरादे, यदि कोई हो का पता लगाने के लिए किसी निष्कर्ष पर पहूंचने के लिए साबित करने के लिए अनुमति दी जानी चाहिए थी यदि कोई अपीलार्थी का कोई भाग हो।

21. यह जानना और भी प्रासंगिक है कि श्री फतेह सिंह द्वारा प्रस्तुत अपराध क्रमांक 315–A/1991 के मामले में, जो खरीदारो में से एक था और उन्ही आरोपो पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया था। उक्त मामले में, दूसरा न्यास विलेख दिनांक 18.10.1989 पेश किया गया था और साबित किया गया, और अंततः दिनांक 30.11.2015 के निर्णय द्वारा अपीलकर्ता को उक्त मामले में बरी कर दिया, जिसे अनुलग्नक पी–14 के रूप में अभिलेख पर लाया गया है। अन्य आपराधिक मामले में, जो समान आरोपों पर था और जो कृषि भूमि के बिक्री के संबंध में एक ही अनुबंध पर आधारित था जिसमें फतेह सिंह द्वारा 75,600/– की राशि का भुगतान उसी तारीख को किया गया था, न्यास विलेख पेश किया गया था और जिसके आधार पर अपीलकर्ता को दोषमुक्त करना लेखबद्ध किया गया। अपीलार्थी द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 30.11.2015 को दोषमुक्त करने के फैसले का संदर्भ उच्च न्यायालय के समक्ष भी दिया गया है, लेकिन उच्च न्यायालय ने उस पर ध्यान नहीं दिया।

22. वर्तमान मामले के तथ्यों में हमारा विचार है कि अपीलीय न्यायालय ने दूसरे न्यास विलेख दिनांक 18.10.1985 और संकल्प क्रमांक 112 दिनांक 18.10.1989 को स्वीकार करने में द0प्र0सं0 की धारा 391 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग न कर त्रुटि की और अपीलकर्ता को दस्तावेजों को साबित करने के लिए गवाह पेश करने से मना कर दिया।

23. श्री हरगुरूशरण सिंह ने पूर्व में परिवाद किया है कि अपीलार्थीगण अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है क्योंकि उन्होंने न्यास अनुबंध के सही दस्तावेज पेश नहीं किया है और वे न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश कर रहे है। उन्होंने न्यास अनुबंध की कंडिका (8) पर ध्यान आकृष्ठ कराया है जिसके पेज क्रमांक 28 में शब्द ''नहीं'' को जानबुझकर टंकित नहीं कराया गया है। अपीलार्थी की ओर से निवेदन किया गया है कि शब्द

''नहीं'' का लोप कंडिका क्रमांक 08 मात्र एक सद्भाविक टंकण त्रुटि है जिस पर अपीलार्थी रोक नहीं लगा सकता। जब न्यास अुनबंध की सत्यापित प्रति अपीलार्थी द्वारा अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा चुकी है हम यह जानने में असमर्थ है कि गलत कंडिका वाले न्यास अनुबंध को पुनः पेश कर अपीलार्थी क्या पाना चाहते हैं। हम इस बात से संतुष्ठ है कि शब्द ''नही'' का उल्लेख किया जाना मात्र एक त्रुटि है। जो जान बुझकर नहीं की गई है और इस न्यायालय को गुमराह करने के लिए नहीं किया गया है।

24. हम, इस तरह इस निष्कर्ष पर आते हैं कि इस मामलों में अपीलीय न्यायालय धारा 391 के क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में असफल रही है। और आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 391 द.प्र.सं. (14 ख, 15 ख) को अस्वीकार कर त्रुटि की है। अपीलीय न्यायालय का आदेश दिनांक 02.11.2015 साथ ही उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 15.03.2016 अपास्त किया जाता है। आवेदन अन्तर्गत 14 ख एवं 15 ख स्वीकार किया जाता है। हम आगे निर्देशित करते है कि अपीलार्थी को अनुमति दी जाती है कि वह अनुबंध दिनांक 18.10.1989 को प्रमाणित करने के लिए मौखिक साक्ष्य पेश करे वह भी कम से कम एक साक्षी। अपीलीय न्यायालय उपरोक्त निर्देशानुसार अतिरिक्त साक्ष्य ग्रहण करेंगे और इस आदेश की सत्यापित प्रति प्राप्त होने के 6 माह के अन्दर कार्यवाही समाप्त करेंगे। आपराधिक अपील शीघ्र निपटायी जाए इस प्रकार अपील स्वीकार की जाती है।

Translated/Validated/Corrected by
CG State Judicial Academy, Bilaspur